न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
26-09-25 पत्रावली इकजाई तारीख से पेश वादी वकील द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण Note-press कर कार्यवाही बंद करने हेतु निवेदन किया गया। अतः पत्रावली Note press के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा लेख भण्डार हो। SDO	Note press 26/9/25

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

लाडबाई बनाम भौरेलाल

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/19/2025

18.02.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 18 खसरा संख्या 20/1.35, खाता संख्या 43 खसरा संख्या 260/0.04, खाता संख्या 47 खसरा संख्या 262/0.25, खाता संख्या 48 खसरा संख्या 246/0.06, 265/0.12 वाके ग्राम थोसडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात को दीगर शख्स/संस्था को रहन वय हिबा आदि किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्व न करें न करावे। ना ही आराजी के विशिष्ठ भाग पर कब्जा कर कोई निर्माण कार्य करें ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीनी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करें, ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीनी को उक्त आराजी से उसके हिस्सेनुसार कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें। अन्त में वकील वादी ने मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया गया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात अप्राथी संख्या 1 भौरेलाल की सह खातेदारी है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी भौरेलाल के वारीसान है। अप्रार्थी संख्या 1 भौरेलाल के पुत्र जगदीश, ओमप्रकाश फोत हो चुके जिनके वारीस प्रार्थीगण है। तरतीबी अप्रार्थी 3 सुशीला अप्रार्थी भौरेलाल की पुत्री है। उक्त विवादित आराजी पैत्रक प्राप्त आराजी है। अन्त में अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *आराजी खाता संख्या 18 खसरा संख्या 20/1.35, खाता संख्या 43 खसरा संख्या 260/0.04, खाता संख्या 47 खसरा संख्या 262/0.25, खाता संख्या 48 खसरा संख्या 246/0.06, 265/0.12 वाके ग्राम थोसडा तहसील राजगढ जिला अलवर* में आगामी आदेशों तक बेचान नही करे। तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संवध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 26.03.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी राजगढ

जिला अलवर

Note press

Sd/- 26/9/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

रीख
म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

26/9/25

पत्रावली पेश। मूलवाद Notepress के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

[signature]
SDO